रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2015/चैत्र 11, 1937
No. 197] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2015/CHAITRA 11, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

सा.का.नि. 249(अ).—केन्द्र सरकार एतद्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 में भावी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ:-**(1) इन नियमों को उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियम, 2015 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित किए जाने वाली तारीख से लागू होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 4 उप-नियम (6) में "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. जे-2/3/2014-सी.पी.यू.]

जी. गुरुचरण, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 398 (अ) दिनांक 15.04.1987 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के द्वारा संशोधित किए गए।

1. सा.का.नि. 533 (अ) दिनांक 14.08.1991,

2. सा.का.नि. 800 (अ) दिनांक 30.12.1993,

3. सा.का.नि. 522 (अ) दिनांक 22.06.1994,

4. सा.का.नि. 605 (अ) दिनांक 30.08.1995,

5. सा.का.नि. 759 (अ) दिनांक 21.11.1995,

6. सा.का.नि. 95 (अ) दिनांक 27.02.1997,

7. सा.का.नि. 88 (अ) दिनांक 24.02.1998,

8. सा.का.नि. 175 (अ) दिनांक 05.03.2004,

9. सा.का.नि. 50 (अ) दिनांक 01.02.2005,

10. सा.का.नि. 64 (अ) दिनांक 10.02.2005,

11. सा.का.नि. 67 (अ) दिनांक 11.02.2005,

12. सा.का.नि. 273 (अ) दिनांक 05.05.2006,

13. सा.का.नि. 462 (अ) दिनांक 04.08.2006,

14. सा.का.नि. 637 (अ) दिनांक 13.10.2006,

15. सा.का.नि. 380 (अ) दिनांक 02.06.2009,

16. सा.का.नि. 591 (अ) दिनांक 20.08.2009,

17. सा.का.नि. 579 (अ) दिनांक 05.07.2010,

18. सा.का.नि. 385 (अ) दिनांक 12.05.2011 और

19. सा.का.नि. 559 (अ) दिनांक 21.07.2011

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2015

G.S.R. 249(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Consumer Protection Rules, 1987, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Consumer Protection (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Consumer Protection Rules, 1987, in rule 4 sub-rule (6), for the words "Rupees two thousand", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

[F. No. J-2/3/2014-CPU]

G. GURUCHARAN, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide, notification number G.S.R. 398(E), dated 15-4-1987 and subsequently amended, vide notification numbers:-

1. G.S.R. 533(E) dated 14-08-1991,
2. G.S.R. 800(E) dated 30-12-1993,
3. G.S.R. 522(E) dated 22-06-1994,
4. G.S.R. 605(E) dated 30-08-1995,
5. G.S.R. 759(E) dated 21-11-1995,
6. G.S.R. 95(E) dated 27-02-1997,
7. G.S.R. 88(E) dated 24-02-1998,
8. G.S.R. 175(E) dated 05-03-2004,
9. G.S.R. 50(E) dated 01-02-2005,
10. G.S.R. 64(E) dated 10-02-2005,
11. G.S.R. 67(E) dated 11-02-2005,
12. G.S.R. 273(E) dated 05-05-2006,
13. G.S.R. 462(E) dated 04-08-2006,
14. G.S.R. 637(E) dated 13-10-2006,
15. G.S.R. 380(E) dated 02-06-2009,
16. G.S.R. 591(E) dated 20-08-2009,
17. G.S.R. 579(E) dated 05-07-2010,
18. G.S.R. 385(E) dated 12-05-2011 and
19. G.S.R. 559(E) dated 21-07-2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.